



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:39956-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या.- 5070/2026

विपिन यादव (प्रथम सूचना रिपोर्ट में विपिन कुमार यादव)

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:- सतीश तिवारी, अनामिका

सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 10

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या-1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतिवादी संख्या-4 को सूचना जारी किए जाने की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. इस याचिका के माध्यम से दिनांक 22.11.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-163/2026, जो थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर में धारा 109(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत है, को चुनौती दी गई है।
4. आक्षेपित प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता पर कई अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित पर गोलियां चलाने का आरोप है, किंतु वे बाल-बाल बच गए। तर्क यह है कि आक्षेपित प्राथमिकी में लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे एवं निराधार हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के बीच एक दीवानी विवाद लंबित है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध बार-बार प्राथमिकियां दर्ज कराई जा रही हैं।
5. यह तर्क यह दिया गया है कि इससे पूर्व भी, प्रतिवादी संख्या 4 ने थाना लम्भुआ, सुल्तानपुर में दिनांक 25.03.2026 की प्राथमिकी संख्या 108/2026 दर्ज कराई थी और उसके पश्चात पुनः थाना लम्भुआ, सुल्तानपुर में ही दिनांक 13.05.2026 की प्राथमिकी संख्या 160/2026 दर्ज कराई। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध बार-बार उक्त प्राथमिकियां दर्ज कराई जा रही हैं ताकि वह मामले की पैरवी न कर सके। अब, आक्षेपित प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अंतर्गत दर्ज कराई गई है ताकि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जा सके।
6. इसके अतिरिक्त अन्य कोई आधार नहीं उठाया गया है।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उक्त आधार सारहीन एवं भ्रामक पाए गए हैं। आक्षेपित प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध बनता है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा कई अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित पर गोलियां चलाना बताया गया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, यद्यपि पीड़ित बाल-बाल बच गया हो। इसके अतिरिक्त, वास्तविक स्थिति यही बनी हुई है कि संज्ञेय अपराध घटित होना प्रकट होता है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सोमजीत मलिक बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य: 2024 INSC 772** के मामले में निम्नानुसार अभिधारित किया है:

"18. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्राथमिकी सभी आरोपों का संपूर्ण ज्ञानकोश नहीं होती है। इसलिए, यह परखने के लिए कि क्या कोई प्राथमिकी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने को प्रकट करती है या नहीं, आरोपों में किसी लोप को नहीं, बल्कि उसमें निहित आरोपों के सार तत्व को देखा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है या नहीं। इस प्रक्रम पर, न्यायालय के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध घटित हुआ है। अन्वेषण के पश्चात ही, आरोप विरचित करते समय, जब अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री न्यायालय के समक्ष होती है, तब न्यायालय को यह राय कायम करनी होती है कि अभियुक्त पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उससे पूर्व, यदि संतुष्ट हो, तो न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित भी कर सकता है। इस प्रकार, जब प्राथमिकी में अभियुक्त के कपटपूर्ण आचरण का आरोप लगाया गया हो, जो यदि उपलब्ध सामग्री से समर्थित होता है, तो किसी संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने का प्रकटीकरण करेगा, ऐसी स्थिति में प्राथमिकी को निरस्त करके विवेचना को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।"

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के **सोमजीत मलिक (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई प्राथमिकी किसी संज्ञेय अपराध के घटित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होने को प्रकट करती है, तब यह निर्धारित करने के लिए कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं, उसमें निहित आरोपों के सार तत्व को देखा जाना आवश्यक है। इस प्रक्रम पर, न्यायालय के लिए यह तय करना आवश्यक नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध घटित हुआ है। इस प्रकार, जब प्राथमिकी अभियुक्त के स्तर पर किसी संज्ञेय अपराध का आरोप लगाती है, तो प्राथमिकी को रद्द करके अन्वेषण में बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए।

10. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **संजय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 लाइव लॉ (SC) 1170** के मामले में यह भी अभिधारित किया है कि जहाँ प्राथमिकी के अवलोकन से संज्ञेय अपराध प्रकट होता है, वहाँ उच्च न्यायालयों से हस्तक्षेप करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

11. सुविधा के लिए, **संजय कुमार गुप्ता (उपरोक्त)** के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है (प्रस्तर 6 और 7) :-

"6. उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और फिर भी अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् यहाँ निजी प्रतिवादियों को आरोप-पत्र दाखिल होने के पश्चात तक गिरफ्तारी से पूर्ण संरक्षण प्रदान कर दिया, जिसने हमारी राय में, मामले के अन्वेषण को गंभीर नुकसान पहुँचाया है। इस प्रकार के निर्देश के पीछे न तो कोई तर्क और न ही कोई औचित्य है।

7. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हैं। इसलिए, किसी अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार का संरक्षण प्राप्त करने का इच्छुक है, तो उसे प्रथमतया सक्षम सत्र न्यायालय के समक्ष जाकर उपयुक्त उपचार का लाभ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उठाना होगा। कार्यवाही को निरस्त करने के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करते हुए, किसी दांडिक रिट याचिका में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का अनुतोष प्रदान करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अमान्य है, जैसा कि **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (प्राइवेट) लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 19 SCC 401** में प्रकाशित किए गए मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिधारित किया गया है:-"

"22. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2014) 4 SCC 453 : (2014) 2 SCC (Cri) 363]** के मामले में प्रेक्षित किया गया है, यद्यपि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के पास अत्यधिक व्यापक शक्तियाँ हैं, फिर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग न्याय के हनन को रोकने और अधिकारियों द्वारा बिना सोचे-समझे अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। आगे यह भी प्रेक्षित किया गया है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी याचिका पर सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय से दोनों हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। एक तरफ, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी शक्ति का प्रयोग उदारतापूर्वक न किया जाए ताकि इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की कार्यवाही में परिवर्तित न कर दिया जाए। आगे यह भी प्रेक्षित किया गया है कि दूसरी तरफ जब भी उच्च न्यायालय को लगता है कि किसी दिए गए मामले में यदि गिरफ्तारी-पूर्व संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, तो यह न्याय का घोर हनन होगा तथा विचारण लंबित रहने के दौरान गिरफ्तारी का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई मामला बिल्कुल नहीं बनता है, तो उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम जमानत की प्रकृति का अनुतोष देने के लिए स्वतंत्र होगा, किंतु यह ध्यान में रखते हुए कि इस शक्ति का प्रयोग विरल मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहाँ ऐसा करना पूर्णतः आवश्यक, न्यायोचित एवं उचित रूप से समर्थित हो। हालाँकि, गिरफ्तारी न करने अथवा “कोई दमनात्मक कार्रवाई न करने” संबंधी ऐसा व्यापक अंतरिम आदेश यांत्रिक रूप से तथा नियमित अथवा सामान्य रीति से पारित नहीं किया जा सकता।

23. जहाँ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और/या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत कार्यवाही को निरस्त करने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते समय, अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने तक और/या जाँच के दौरान गिरफ्तारी न करने तथा/या “कोई दमनात्मक कार्रवाई न करने” का आदेश पारित करने अथवा जाँच पूर्ण होने तक गिरफ्तारी न करने का आदेश पारित किए जाने का प्रश्न है, जबकि यह मत व्यक्त किया गया हो कि प्राथमिकी/शिकायत को निरस्त करने का कोई मामला नहीं बनता है, तो ऐसा आदेश पारित करना पूर्णतः अस्वीकार्य है।”

12. इसके अतिरिक्त, हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अक्काम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य - 2026 INSC 362** के मामले में पुनः यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय उच्च

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालयों से साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन करने अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की सत्यता के संबंध में गहन एवं विस्तृत जाँच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ आरोपों को उनके मूल रूप में स्वीकार किए जाने पर किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का प्रकटीकरण होता है, वहाँ जाँच को उसके प्रारंभिक चरण में ही बाधित नहीं किया जाना चाहिए तथा प्रारंभिक अवस्था में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है, सिवाय ऐसे असाधारण मामलों के, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सुव्यवस्थित एवं स्थापित मानदंडों के अंतर्गत आते हों।

13. तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संजय कुमार गुप्ता (उपर्युक्त), सोमजीत मलिक (उपर्युक्त) तथा *अक्काम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य (उपर्युक्त)* के मामले में प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं प्राथमिकी की अंतर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध बनता है। अतः, आक्षेपित प्राथमिकी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आधारों पर विचार करना वस्तुतः लघु विचारण किए जाने के समान होगा।

14. उपर्युक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए, यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

जून 2, 2026

प्रतीक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।